



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22052026-272804
CG-MH-E-22052026-272804

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2510]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2026/ज्येष्ठ 1, 1948

No. 2510]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2026/JYAISHTHA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 मई, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 7A के तहत

का.आ. 2602(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) तहसील के संबंध में महाराष्ट्र राज्य में, “नाशिक रोड और साईनगर शिर्डी परियोजना के बीच दोहरी लाइन (95.059 किमी)” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तालुका	जिला
1.	उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पाटबंधारे क्र. ०१	नाशिक	नाशिक
2.	उपविभागीय अधिकारी, निफाड	सिन्नर व निफाड	नाशिक

[फा. सं. G197/Nashik Road-Sainagar Shirdi (95.059 Km)/7A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th May, 2026

Under clause 7A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2602(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (No.11 of 2008), the Central Government hereby authorise the officer mentioned in column (2) of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project of “**Double Line between Nashik Road – Sainagar Shirdi Project (95.059 Km)**” in the State of Maharashtra relating to Taluka Mentioned in Column (3) of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S. No.	Competent Authority	Taluka	District
1	Deputy Collector Land Acquisition Irrigation No. 1	Nashik	Nashik
2	Sub-Divisional Officer Niphad	Sinner and Niphad	Nashik

[F. No. G197/Nashik Road-Sainagar Shirdi (95.059 Km)/7A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)